राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1009/2025

राकेश शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :– 03.03.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सत्यनारायण शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर उप वन संरक्षक (वन्य जीव) चिड़ियाघर, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर में किया गया है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर आदेश दिनांक 23.02.2024 के द्वारा पदस्थापित हुआ है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश के द्वारा मात्र 11 माह की अल्पावधि में ही किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध किया गया है। वन विभाग की स्थानान्तरण नीति दिनांक 20.04.2011 के अनुसार न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानानतरण नीति विरूद्ध किये जाने में पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है, जो अनुचित है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश को स्थगित रखा जाए।
4. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये तर्को पर विचार किया।

5. हम पाते हैं कि राजस्थान सरकार वन विभाग द्वारा स्थानान्तरण नीति दिनांक 20.04.2011 जारी किया गया है, उसमें मत संख्या 1.1 में निम्न प्रकार से प्रावधान है :–

> ''1.1 प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक की एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि दो वर्ष होगी। अधिकारी/कार्मिक को दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण बाबत निर्धारित विशेष परिस्थितियों की स्थिति में ही अन्यत्र पदस्थापित किया जा सकेगा।''

6. उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि सामान्य स्थिति में न्यूनतम दो वर्ष तक एक स्थान पद पदस्थापित रखा जाएगा। साथ ही यह भी प्रावधान रखा गया है कि विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष से पूर्व भी स्थानान्तरण किया जा सकता है। उक्त स्थानान्तरण नीति में मत संख्या 6.2 में निम्न प्रकार से भी प्रावधान रखा गया है :–

> ''6.2 राज्य सरकार द्वारा किसी राज्यकर्मी (अधिकारी/कर्मचारी) का स्थानान्तरण आवश्यकता (एक्सीजेंसी) को ध्यान मं रखते हुए कभी भी बिना कारण बताये किया जा सकेगा।''

7. अतः उपरोक्त प्रावधान से यह भी स्पष्ट है कि प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिना कारण बताये कार्मिक का कभी भी स्थानान्तरण किया जा सकता है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्यहित में किया गया है। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति में प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान अंकित है। ऐसे में राज्यहित में अपीलार्थी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में क्या आवश्यकता रही है, इसके गुणावगुण पर अधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा राज्यहित में किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)